

**संख्या-745/एक-10-2025**

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
मथुरा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 07-07-2025

विषय-वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद मथुरा के अन्तर्गत हुए भूस्खलन से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-991/तीन-बी/द्वैतीय आपदा/2025-26 दिनांक 27 जून, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 15.06.2025 को कच्ची सडक शाहगंज दरवाजा के पास स्थित माया टीला के भूस्खलन के कारण 09 पक्के आवाशीय मकानों में आंशिक क्षति हो जाने के दृष्टिगत उनके परिजनों को रू0 6500/- प्रति परिवार की दर से कुल रू0 58,500/- की धनराशि भारत सरकार द्वारा घोषित भूस्खलन मद से बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 - इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरोन्त भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों में भूस्खलन आपदा में सम्मिलित होने के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में माया टीला से हुए भूस्खलन से 09 पक्के आवाशीय मकानों में आंशिक क्षति हो जाने के दृष्टिगत उनके परिजनों को रू0 6500/- प्रति परिवार की दर से कुल रू0 58,500/- (रूपये अठ्ठावन हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि जिलाधिकारी मथुरा के निवर्तन पर रखने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय

कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि के उपयोग में भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-एनडीएम-1, दिनांक 10.10.2022 में निर्धारित मानक/दरों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के आश्रित का विवरण तथा उन्हें दी गयी सहायता का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू 58,500/- (रूपये अठ्ठवन हजार पांच सौ मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखाशीर्षक 2245-05-800-06-10 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by  
SHAILENDRA MANI TRIPATHI  
Date: 07-07-2025 19:12:36

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)  
अनु सचिव।

संख्या-745 (1)/एक-10-2025. तद्दिनांक

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, 30प्र0।
- 2- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग 30प्र0 शासन ।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, शास्त्री भवन, लखनऊ, 30प्र0।
- 7- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, मथुरा, 30प्र0।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)  
अनु सचिव।


## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026  
आवंटन दिनांक-14/07/2025

प्रेषण संख्या:- 745  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-745  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय  
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मथुरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	58500 1858500	58500 1858500
	योग	वर्तमान प्रगामी	58500 1858500	58500 1858500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अट्ठावन हजार पाँच सौ  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ

  
(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त कार्यालय  
उत्तर प्रदेश।